

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

अनुबंध-I

(यह पेज पूर्ण रूप से भरकर बोर्ड कार्यालय में वापिस भेजा जाना है।)
कोटेशन नोटिस संख्या:-1631/प्रकाशन दिनांक:-08.10.2026
मुद्रण एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची

क्र 0	आईटम का नाम व विवरण	आकार एवं मुद्रण	मात्रा	समयावधि	प्रयोग किए जाने वाले कागज का विवरण	दरें सभी करें सहित व भिवानी में बोर्ड भण्डार कक्ष में जमा करवाने सहित है।
1.	Gazette(New & Old)	Size 12"x17"	295	60 Working days	The Bidder will use original leather, best quality 40 oz cardboard, craft paper and cover paper of 60 GSM of any reputed paper mill, and binding should be corner leather binding	Rs.
2	Result Sheet (New & Old)	Size 8½"x13½ "	350	60 Working days	The Bidder will use original leather, best quality 40 oz cardboard, craft paper and cover paper of 60 GSM of any reputed paper mill, and binding should be corner leather binding	Rs.

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोटेशन नोटिस के अनुबंध-I व II के सभी निर्देश, नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं और मेरे द्वारा अनुबंध-I में दी गई दरें 01 वर्ष तक वैध रहेगी।

1.

कोटेशनकर्ता का नाम

.....
2.

फर्म/एजेंसी का नाम

.....
3.

फर्म/एजेंसी का पता

.....
4.

पैन नम्बर

.....
5.

जीएसटी नम्बर (अनिवार्य)

.....
6.

मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी

.....
7.

फर्म/एजेंसी की पंजीकरण संख्या

.....
8.

बैंक का नाम जिसमें कोटेशनकर्ता का खाता ह

.....
9.

बैंक की शाखा का नाम

.....
10.

कोटेशनकर्ता का खाता नम्बर

.....
11.

बैंक की शाखा का आईएफएससी कोड

.....
12.

मेरी/हमारी फर्म/एजेंसी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा या अन्य किसी सरकारी विभाग/एजेंसी से वाद-विवादित/प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टिड नहीं है।

कोटेशनकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

अनुबंध-II

कोटेशन के लिए नियम व शर्तें:-

1. बाईण्ड करवाई जाने वाली प्रलेखों के प्रारूप प्रकाशन शाखा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते हैं।
2. बाईण्ड करवाई जाने वाले प्रलेखों की दरें अनुबंध-I में दी जानी है तथा दरें सभी टैक्स सहित व भिवानी में बोर्ड भण्डार कक्ष में जमा करवाने सहित है। कोटेशनकर्ता द्वारा दरों को अंकों एवं शब्दों में भरा जाना है। दरों को भरने के बाद अनुबंध-I को बोर्ड कार्यालय की ई-मेल आईडी ratesbseh@gmail.com पर वापिस भेजा जाना है।
3. कोटेशन का समय/दरें एक साल तक मान्य होंगी। सूची में दिए गए कार्य के अतिरिक्त आदेश-पत्र की तिथि से एक वर्ष तक इसी दर पर समान विशिष्टताओं वाली अन्य बाईडिंग का कार्य भी सहमति के आधार पर दिया जा सकता है।
4. फर्म/बाईण्डर की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
5. बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रलेखों की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
6. कार्य न्यूनतम दरों पर सौंपा जाएगा। यदि पहली फर्म द्वारा सौंपा गया कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है तो उस अवस्था में दूसरी न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य सौंप दिया जाएगा और दरों में जो भी अंतर होगा वह पहली फर्म से वसूल किया जाएगा। यदि फर्म द्वारा दरों का अंतर जमा नहीं करवाया जाता है तो सचिव, H0 वि0 शि0 बोर्ड फर्म को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
7. कार्य आदेश-पत्र सौंपे जाने की तिथि से अगले दिन से कार्य आरम्भ करने की तिथि मानी जाएगी।
8. संलग्न सूची में दर्शाया गया कार्य 60 कार्यदिवसों में सम्पन्न करना होगा और कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में बिल में निम्न विवरण अनुसार कटौती की जाएगी:-
 - i. 01 से 10 दिन तक विलम्ब होने पर कुल देय राशि पर 2 प्रतिशत।
 - ii. 11 से 20 दिन तक विलम्ब होने पर कुल देय राशि पर 5 प्रतिशत।
9. यदि कार्य में सिलाई/बाईण्डिंग इत्यादी सम्बन्धी गलती पाई जाती है तो निम्नानुसार कटौती की जाएगी:-
 - i) बाईडिंग की गलती, खराब गुणवत्ता, चिपकाने/स्टैपलिंग सम्बन्धी गलती, क्रमांक की गलती इत्यादी होने पर 50 पैसे प्रति गलती, प्रति प्रलेख कटौती की जाएगी।
 - ii) कम आपूर्ति, कटी-फटी, गुम इत्यादी पाए जाने पर बाईण्डर द्वारा उसी संख्या में सामग्री/सामान को बदला जाए या जितनी मात्रा में सामान/सामग्री कम/कटी-फटी/गुम पाई जाती हैं उस अवस्था में उतनी ही मात्रा की मूल कीमत की दुगुनी कटौती की जाएगी।
 - iii) यदि दिए गए प्रलेखों के विशिष्टताओं की अनुसूची से कागज/बाईडिंग कवर(गत्ता) का साईज छोटा/बड़ा पाया जाता है तो बिल की राशि में से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
10. यदि बाईडिंग सामग्री/सामान दिए गए सामग्री/सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची अनुसार नहीं पाई जाती है या प्रयोग में लाए जाने योग्य नहीं है तो सचिव, H0वि0शि0बोर्ड द्वारा बाईण्ड किए गए कार्य को अस्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृत प्रलेखों के स्थान पर दोबारा से सही बाईडिंग करके 5 दिनों के अन्दर-अन्दर या सचिव द्वारा दिए गए समय में कार्य करना होगा। यदि फर्म बाईडिंग में असफल हो जाती है तो सचिव के पास अधिकार होगा कि वह फर्म को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
11. यदि बिल का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो जुर्माने की राशि की वसूली फर्म के किसी भी लम्बित/बाद के बिल से की जा सकती है।
12. जो कोटेशन उपरोक्त शर्तों के अनुरूप नहीं है उन्हें बिना किसी विचार के अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
13. फर्म/एजेंसी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा या अन्य किसी सरकारी विभाग/एजेंसी से वाद-विवादित/प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
14. कोटेशन से पहले व बाद में नियम व शर्तों में बदलाव/छूट, कोटेशन रद्द करने, सप्लाई आदेश रद्द करने, किसी भी विवाद के लिए व यदि कोई बिन्दू नियम व शर्तों में नहीं है तो उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को होगा व फर्म/बाईण्डर के लिए बाध्यकारी होगा।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

कोटेशन सूचना

कोटेशन नोटिस संख्या:-1631/प्रकाशन

दिनांक:-08.10.2026

विषय:- बोर्ड कार्यालय के गजट एवं परिणाम शीट बाईण्ड करवाने बारे।

बोर्ड कार्यालय के गजट एवं परिणाम शीट बाईण्ड करवाने के लिए पुनः ऑनलाईन कोटेशन आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है, जोकि अनुबंध-II में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अधीन है। कोटेशन दिनांक 12.10.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक ई-मेल आईडी ratesbseh@gmail.com पर भेजी जानी है।

यदि कोटेशनकर्ता इन सभी निर्देशों/नियमों व शर्तों (जैसा कि अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में है) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, तो ऑनलाईन कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी की उपलब्धता की स्थिति में कोटेशन उसी दिन खोले जाएंगे।

सहायक सचिव (प्रकाशन)
कृते: सचिव